दिनांक 13.04.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न राजभवन, बिहार, पटना में माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में बिहार राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षा विभाग एवं बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, बिहार, पटना के पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः— उक्त बैठक में सम्मिलित महानुभावों की सूची (अनुलग्नक—1)

उक्त बैठक में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020** के आलोक में "बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय Choice Based Credit System (CBCS) एवं Semester System के आधार पर सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों में सत्र 2023—27 से स्नातक की पढ़ाई प्रारंभ करने के संबंध में" विस्तृत रूप से विचार किया गया यथा—

1. बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय **Choice Based Credit System (CBCS)** एवं **Semester System** के आधार पर सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों में सत्र 2023—27 से स्नातक की पढ़ाई प्रारंभ करने पर सहमति बनी। इसके लिए राजभवन के स्तर पर पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
2. 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने के लिए **Course Structure** बनाने हेतु पांच विश्वविद्यालय के कुलपतियों की एक कमिटी का गठन करने का निर्णय लिया गया, जो निम्नवत होगा:—
    1. कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना
    2. कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना
    3. कुलपति, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना
    4. कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
    5. कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

    उक्त कमिटी के समन्वयक (Co-ordinator) बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना के शैक्षणिक सलाहकार प्रो. एन.के. अग्रवाल होगें । जिससे संबंधित पत्र राजभवन के स्तर से निर्गत करने का निर्णय लिया गया। उक्त कमिटी पत्र निर्गत होने की तिथि से सात दिनों के अन्दर इसकी बैठक कर अपनी अनुशंसा/प्रारूप समर्पित करेगी। उक्त कमिटी को 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने की दिशा में अभी

तत्काल पहले दो सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम **(Syllabus) 21** दिनों के अन्दर तैयार कर समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

3. वैसे विषय जो सभी विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाये जाते है उन विषयों के पाठ्यक्रम **(Syllabus)** उन्हीं विश्वविद्यालयों को बनाना है। पारम्परिक विषयों में भी यदि कोई विश्वविद्यालय अपने स्तर से **Syllabus** बनाकर जमा करना चाहें तो उपरोक्त कमिटी के समक्ष निर्धारित अवधि में जमा करेगें । कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा अपना **Syllabus** अपने स्तर से तैयार कर कमिटी के समक्ष 15 दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
4. सभी विश्वविद्यालय Smart Classroom/ IT related facilities की सूचना 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त कमिटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. शैक्षणिक सत्र 2023–27 के लिए नामांकन की प्रक्रिया संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ प्रारंभ होगी। अगले शैक्षणिक सत्र से नामांकन की प्रक्रिया केंद्रीकृत (Centralized) रुप से की जाएगी। तत्काल पटना विश्वविद्यालय, पटना तथा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना जिनके द्वारा 03 वर्षीय स्नातक नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है, उसे तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया गया ।
6. बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय Choice Based Credit System (CBCS) एवं Semester System के आधार पर स्नातक की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए Ordinance and Regulations को तैयार करने हेतु एक Ordinance Committee के गठन करने का निर्णय लिया गया जिसके निम्नांकित सदस्य होंगेः–
    1. कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
    2. कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
    3. कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
    4. कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना।

उक्त कमिटी के समन्वयक विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) होंगे। इसमें बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के शैक्षणिक सलाहकार प्रो॰ एन॰ के॰ अग्रवाल, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रहेंगे । उक्त कमिटी के द्वारा बिहार के सभी पारम्परिक

विश्वविद्यालयों हेतु Uniform Academic Calendar /Examination Calendar तैयार किया जाएगा ।

अंत में राज्यपाल के प्रधान सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक को समाप्त किया गया ।

माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश से,

ह0/—

(रॉबर्ट एल. चोंग्थू)
राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः—बी.एस.यू.(यू.जी.सी.)—02/2023—**512** /रा.स.(I) दिनांक—**14.04.2023**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :—

1. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ।
2. सदस्य सचिव—सह—राज्य परियोजना निदेशक, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, बिहार, पटना ।
3. सभी कुलपति, बिहार के सभी विश्वविद्यालय को सूचना एवं बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रो० एन० के० अग्रवाल, शैक्षणिक सलाहकार, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, बिहार, पटना ।
5. विशेष पदाधिकारी (विश्वविद्यालय)
6. महामहिम राज्यपाल का गोपणीय कोषांग
7. राज्यपाल सचिवालय के सभी संबंधित पदाधिकारी
8. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., राजभवन को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
7. संधारक, गार्ड फाईल ।

14.4.2023

राज्यपाल के प्रधान सचिव